



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 10/05/2025

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

4295
16/5/2025

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/05/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 01/05/2025 को पूर्वाह्न 10:30 आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,

नीमान

(नोमान हाफिज)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. उप विकास आयुक्त (ग्रेटर नोएडा)।
4. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 01.05.2025 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
 - ii. सुश्री हेमलता हेडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) कार्यालय सीएलए, नई दिल्ली।
 - iii. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नोएडा
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त (iii) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी (iv) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त / निर्दिष्ट अधिकारी (v) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, एडीसी और (vi) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 03.04.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 03.04.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 03.04.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. अतिरिक्त इनपुट सेवाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव:-

2.1 मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, (विकासक)

2.2.1 मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक श्री एल डी शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सेवा से छूट की आवश्यकता है क्योंकि ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) टावरों के नवीनीकरण या जीर्णोद्धार के लिए कोई भी ऋण या क्रेडिट सुविधा प्राप्त करते समय, जमानतदार (एम्बेसी समूह की एक सहायक कंपनी) को जीएसटी नियमों के अनुसार ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी (ऑक्सीजन बिजनेस पार्क) से कुल ऋण राशि पर 1% जीएसटी वसूलना आवश्यक है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि बेंगलुरु में उनके एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में भी इसी तरह की छूट को मंजूरी दी गई थी।

2.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त कार्यालय को वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 79 के अनुसार

मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-14, नोएडा (यूपी) के लिए अतिरिक्त इनपुट सेवाओं अर्थात् "कॉर्पोरेट गारंटी सेवाएं-एसएसी 997159 वित्तीय सेवाओं के सहायक अन्य सेवाएं" के अनुमोदन के प्रस्ताव के संबंध में फाइल पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। विकासक को यह औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि यह सेवा उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) संचालन से कैसे संबंधित है।

मद संख्या 3: अधिकृत कार्यों के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:-

3.1 मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, (विकासक)

3.1.1 श्री बिचित्र दास, वरिष्ठ प्रबंधक - इंफ्रास्ट्रक्चर, श्री सुमित कुमार प्रबंधक - आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) और श्री राजेश रुनवाल, मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के सहायक प्रबंधक -सीएजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या ए-01 से ए-06, सेक्टर-85, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को **मंजूरी दी:-**

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	498.30
2.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	120.00
3.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	1592.00
4.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	25	491.14
	कुल		2701.44

3.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (विकासक)

3.2.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के समूह प्रबंधक श्री नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को **मंजूरी दी:-**

क्र.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50	अनुमानित
------	---------------	-------------------	----------

सं.		और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	लागत (लाख रुपये में)
1.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	1348.71
2.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें स्रोत) (तक समर्पित लाइनें, सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियाँ और उचित क्षमता वाले जल चैनल।	02	62.10
3.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	1378.64
4.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	1285.24
5.	प्रसंस्करण क्षेत्र में वातानुकूलन	21	2627.63
6.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	375.83
7.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	756.44
8.	स्ट्रीट लाइटिंग, संकेत और साइनेज युक्त सड़कें।	01	9.90
	कुल		7844.49

3.2.3. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित / निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 4:- सुविधा प्रदाताओं को स्थान के आवंटन को रद्द करने का प्रस्ताव:-

4.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) श्री बी डी जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स हरिहरन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को दिनांक 21.08.2023 को जारी पत्र संख्या 8, सेक्टर 144, नोएडा में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में काउंटर नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर कैफेटेरिया, बिल्डिंग नंबर बी 1 में लगभग 600 वर्ग फीट के आवंटित स्थान को रद्द करने के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी।**

मद संख्या 5: स्वीकृति पत्र (LOA) के विलय का प्रस्ताव।

5.1 मेसर्स एक्सएल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

5.1.1 मेसर्स एक्सएल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 02.04.2025 के माध्यम से **स्वीकृति पत्र (LOA)** संख्या 10/57/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/13118 दिनांक 20.11.2019 को गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 08, सेक्टर-144, नोएडा - 201304 के आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित अपनी दोनों इकाइयों के स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/58/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/13119 दिनांक 20.11.2019 में विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

5.1.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, "यह भी प्रावधान है कि अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को इस शर्त के अधीन अनुमोदित कर सकती है कि ये इकाइयां एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हैं और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि पहले शुरू होने वाली इकाई के उत्पादन शुरू करने की तारीख से होगी और आयकर छूट पहली इकाई के संचालन के शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी।"

5.1.3 श्री देवेन्द्र कुमार बेहरा, प्रबंधक रसद (लॉजिस्टिक्स) और श्री रमन भसीन, मेसर्स ईएक्सएल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सलाहकार बैठक हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/57/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/13118 दिनांक 20.11.2019 को स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/58/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/13119 दिनांक 20.11.2019 में विलय करने के लिए मेसर्स ईएक्सएल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी।** यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है:-

- i. उपर्युक्त स्वीकृति पत्र (LOA) के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान जिसमें अनुमानित रोजगार शामिल है।
- ii. भारतीय रुपये में भुगतान के विरुद्ध घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में सेवाओं की बिक्री का विवरण, यदि कोई हो।
- iii. इकाई को स्वीकृति पत्र (LOA) के विलय के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा।

मद संख्या 6: उत्पादन/गतिविधियों के प्रारंभ की तिथि की सूचना।

6.1 मेसर्स सीव एआई प्राइवेट लिमिटेड

6.1.1 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से 27.12.2024 से परिचालन प्रारंभ करने की सूचना दी थी। आवेदन की जांच के दौरान, यह पाया गया कि:-

1) इकाई ने उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि (डीसीपी) के लिए दिनांक 27.12.2024 को चालान प्रस्तुत किया था जबकि बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) को 27.02.2025/28.02.2025 को स्वीकार किया गया है। हालांकि, शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) को डीसीपी से पहले निष्पादित/स्वीकार किया जाना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 2006 के नियम 22(1) के अनुसार "प्रत्येक विकासक और उद्यमी को अधिकृत संचालन के लिए छूट, कमियां और रियायतें प्राप्त करने के लिए नियम और शर्तें, अर्थात्": (i) इकाई पूंजीगत वस्तुओं, स्पेयर कच्चे माल, घटकों और उपभोग्य सामग्रियों, स्पेयर कच्चे माल, घटकों और ईंधन सहित उपभोग्य सामग्रियों, आयातित या खरीदे गए शुल्क मुक्त और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के उचित उपयोग और लेखांकन के संबंध में अपने दायित्वों के संबंध में फॉर्म एच में एक बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) निष्पादित करेगी।"

2) इकाई को आईईसी में इकाई का नाम और पूरा पता शामिल करना आवश्यक है।

3) इकाई ने डीसीपी के लिए 27.12.2024 को चालान प्रस्तुत किया है जबकि घर से काम करने की सूचना इकाई द्वारा 14.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। "नियम 43 के उप नियम (5) के अनुसार "जहां कोई इकाई अपने कर्मचारियों को इस नियम के तहत हाइब्रिड काम के लिए अनुमति देती है, वह इसे विकास आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से सूचित करेगी। या उस तारीख से पहले जिस दिन संकर (हाइब्रिड) कार्य की सुविधा की अनुमति दी जाती है।"

6.1.2 मेसर्स सीव.एआई प्राइवेट लिमिटेड के सीए श्री आदित्य कौशिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, यह जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या इकाई ने बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) की स्वीकृति से पहले अधिकृत संचालन के लिए कोई छूट प्राप्त की है। इसके अलावा, समिति ने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को मामले में फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

मद संख्या 7: नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव- के बारे में।

7.1 मेसर्स इबोटिक्स एलएलपी

7.1.1 मेसर्स आईबोटिक्स एलएलपी ने अपने पत्र दिनांक 24.09.2024 और 23.04.2025 के माध्यम से प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए फॉर्म-एफ (ऑनलाइन अनुरोध आईडी 112400005664) में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका अधिकृत संचालन "एआईपावर्ड सॉल्यूशंस एंड आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज- सीपीसी 998313" है।

7.1.2 जांच के दौरान यह पाया गया कि:-

- i. कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समझौता, साथ ही संशोधित एलएलपी समझौता, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं की संशोधित मूल्यवार सूची।
- iii. कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्री नीरज दुबे का प्राधिकरण पत्र।

7.1.3 मेसर्स आईबोटिक्स एलएलपी के कार्यकारी निदेशक श्री नीरज दुबे बैठक हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

7.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स आईबोटिक्स एलएलपी के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी।** यह अनुमोदन ऊपर अनुच्छेद 7.1.2 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 8: ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर टेक जोन में प्लॉट संख्या 6 पर आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकासक मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के प्रमो संस्थापक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई।

8.1 मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, विकासक

8.1.1 मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर टेक जोन में प्लॉट संख्या 6 पर आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का विकासक है। इस कार्यालय को संस्थापक के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से किसी भी अनुमोदन के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में भूखंडों की बिक्री के लिए शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तदनुसार, विकासक को दिनांक 14.02.2025 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

सीमा शुल्क विभाग की यात्रा रिपोर्ट के अनुसार, "विकासक मेसर्स जे.पी. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अनुबंध के माध्यम से निर्माण कर रहा था और इसे खरीदारों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भूमि पर बेच रहा था। इसके अलावा, सीमा शुल्क विभाग ने यह भी सूचित किया है कि सिग्रेचर टॉवर (पुरानी इमारत) का पुनर्निर्माण और पुनः डिजाइन, इमारत के सामने की ऊंचाई को ध्वस्त कर दिया गया है और बिना किसी अनुमोदन/अनुमति के नवीनीकरण का काम चल रहा है।"

यूपीआरईआरए के साथ अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भूमि पर वाणिज्यिक परियोजना का पंजीकरण और जीएनआईडीए के साथ उपरोक्त वाणिज्यिक परियोजनाओं की बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करना और बीओए की पूर्व स्वीकृति के बिना खरीदारों को परियोजना बेचना, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) नियम, 2006 और समय-समय पर जारी प्रासंगिक निर्देशों का उल्लंघन है और साथ ही विकासक को जारी औपचारिक अनुमोदन की शर्तों और नियमों का उल्लंघन है।

विकासक से अनुरोध किया गया कि वह तत्काल प्रभाव से सभी निर्माण कार्य रोक दे तथा इस संबंध में इस कार्यालय से जारी अनुमति के दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

अब विकासक ने 27.02.2025 को प्राप्त पत्र दिनांक 24.02.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि:-

उन्होंने अधिनियम के किसी भी नियम या विनियमन का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि इसके विपरीत सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया है, जिसके तहत उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) क्षेत्र के कुछ हिस्सों की अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन किया है तथा वे उचित प्रक्रिया के साथ इसके लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने इसके लिए यूपीआरईआरए में आवेदन किया था, क्योंकि यूपीआरईआरए में पंजीकरण में काफी समय लगता है तथा इस बारे में सीमा शुल्क विभाग तथा नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

वे कोई इकाई नहीं बेच रहे हैं या कोई वाणिज्यिक लेनदेन नहीं कर रहे हैं तथा उन्हें विभिन्न कंपनियों की ईओआई प्राप्त हुई है, जिन्होंने अधिसूचना रद्द किए गए क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है, जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदन जारी किया जाएगा। यह एक पट्टे पर दिया गया प्लॉट/भूमि है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिसर को उप-पट्टे पर देने के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह खुद उन्हें या तो प्लॉट या कार्यालय परिसर को उप-पट्टे पर देने या किराए पर देने तक सीमित करता है।

इससे पहले, उन्होंने दो बेसमेंट सहित दूसरी मंजिल तक निर्माण किया था और अब अनुमति के अनुसार वे स्वीकृत योजना के अनुसार मंजिलों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक उक्त अनुमति में प्राप्त सीमा को समाप्त नहीं किया है और इसलिए, हमारे मार्गदर्शन और अनुमोदन के साथ वे आगे की मंजिलों का निर्माण कर रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और हमारे अच्छे-स्वामित्व से प्राप्त मंजूरी के अनुसार है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उन्होंने कुछ भी नहीं तोड़ा है और यह पूरी तरह से गलत सूचना है और उनके पिछले

प्रस्तुतियों/आवेदनों में घोषित किए अनुसार अग्रभाग पर नवीनीकरण का काम चल रहा है। बिना हटाए आगे की मंजिलों का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

बिना अग्रभाग को हटाए आगे की मंजिलों का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जिसे भवन का पूरा निर्माण पूरा होने के बाद वापस लगाया जाएगा। पहले से मौजूद मंजिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसके बाद कुछ भी स्थानांतरित या स्थानांतरित नहीं किया गया है। हमारे कार्यालय को जो जानकारी प्रसारित की गई है, वह गलत है और उसमें कोई दम नहीं है।

निश्चित रहें कि विकासक नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करता है और उसने विधिवत रूप से अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन भी किया है, जो दुर्भाग्य से अपेक्षा से बहुत अधिक समय ले रहा है, जबकि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि प्रक्रिया बहुत तेज है और विभिन्न निकायों द्वारा जल्द से जल्द इसका अनुपालन किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से, प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग रहा है और यह बदले में केवल ज़ोन और क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रहा है और कोई भी निवेशक जो अपने भूखंड में कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगा। वे दैनिक आधार पर व्यावसायिक अवसर खो रहे हैं और अपने खर्चों, ब्याज और लागतों से गुजर रहे हैं जो उनके वित्तीय नकदी प्रवाह पर भारी पड़ रहा है।

वे हमें यह बताना चाहते हैं कि वे उन क्षेत्रों में निर्माण शुरू करने की अनुमति के लिए अनुरोध कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने अधिसूचना रद्द करने के लिए निर्धारित किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने निर्माण के लिए लागू होने वाली किसी भी सामग्री के लिए कोई सीमा शुल्क या कर छूट नहीं ली है। इस परिदृश्य के तहत, जिसमें वे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें इसके निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि मुख्य उद्देश्य समय की बचत करना है क्योंकि उन्होंने जो निर्माण की योजना बनाई है वह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और राज्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि वे जो अधिसूचना रद्द करने का इरादा रखते हैं, वह जल्द ही प्राप्त हो जाएगा क्योंकि उनके द्वारा आवेदन किए जाने के बाद से बहुत समय बीत चुका है और इसलिए, वे कोई लाभ प्राप्त किए बिना इसका निर्माण कर रहे हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के दिशानिर्देशों और नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि निर्माण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता है तो कृपया प्रदान की जाए ताकि समय का आर्थिक रूप से उपयोग किया जा सके और साथ ही इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वे इसका कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। उनका मानना है कि जिन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है, वहां निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए और अधिसूचना रद्द करने के लिए लंबे समय से लंबित अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से अनुरोध किया है कि वे उनके काम को निष्पक्ष रूप से देखें क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) क्षेत्र की वृद्धि और प्रगति है और अनुरोध किया है कि वे ऐसे लोगों और कंपनियों के माध्यम से झूठी शिकायतों या सूचनाओं के प्रसार को नज़रअंदाज़ करें जो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की प्रगति के खिलाफ हैं और भूखंड की प्रगति के लिए हानिकारक हैं।

विकासक ने 25.08.2022 के पत्र की प्रति संलग्न की है। पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार विकासक को 25.08.2022 के पत्र द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की वैधता है। तदनुसार, पत्र की वैधता 24.08.2023 को समाप्त हो गई, उसके बाद विकासक ने इस कार्यालय से कोई विस्तार नहीं लिया/प्राप्त नहीं किया।

विकासक के प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि वे उन क्षेत्रों में निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से किसी अनुमोदन के बिना अधिसूचना-मुक्त करने के लिए निर्धारित किया है, जो

कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम एवं नियम, 2006 के प्रावधानों और समय-समय पर जारी प्रासंगिक अनुदेशों का उल्लंघन है, साथ ही विकासक को जारी औपचारिक अनुमोदन की शर्तों एवं नियमों का भी उल्लंघन है।

मामले को उचित निर्णय के लिए पूरे तथ्यों के साथ दिनांक 03.04.2025 को यू.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुमोदन समिति के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। यू.ए.सी. ने इसे गंभीरता से लिया तथा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित न होने के लिए विकासक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि मामले को उचित निर्णय के लिए अगली अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाए। समिति ने विकासक को यह भी सूचित करने का निर्णय लिया कि उन्हें किसी भी प्रत्याशित एनपीए से संबंधित कोई निर्माण नहीं करना चाहिए।

8.1.2 मेसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री महेश पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए तथा मामले को समझाया।

8.1.3 अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के पश्चात निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) को एस.ई.जेड. का दौरा करने तथा मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के तहत कार्य निष्पादन की निगरानी।

1.1 मेसर्स मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

1.1.1 मेसर्स मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में टावर 2 की 12वीं और 14वीं मंजिल पर प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-44, नोएडा (यूपी)-201304 "बीपीओ (आईटी/आईटीईएस)" में एक इकाई स्थापित करने के लिए दिनांक 19.06.2008 को स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/193/2008-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/4717 प्रदान किया गया है। इकाई ने 02.02.2009 से परिचालन शुरू कर दिया था। इकाई ने 28.02.2025 को पांच साल का पहला ब्लॉक पूरा कर लिया था। इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को अगले पांच वर्षों के ब्लॉक अर्थात् 01.04.2025 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1.1.2. दिनांक 17.03.2025 की निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार इकाई ने 31.03.2025 तक पांच वर्षों की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ब्लॉक अवधि के दौरान 4,38,587.35 लाख रुपये की सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा हासिल की है।

प्रथम ब्लॉक वर्ष:

क्र सं	मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	निर्यातों का पॉट पर्यन्त मूल्य	709.00	11793.00	16091.00	20560.89	23973.51	73127.40
2.	नियम 53ए ('ए' से 'के') के अंतर्गत की गई आपूर्ति का मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	विदेशी मुद्रा व्यय	216.64	680.56	1128.33	1289.20	1032.60	4317.33

क्र सं	मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
4.	विदेशी मुद्रा उपार्जन (1+2+3)	492.36	11112.44	14962.67	19271.69	22940.91	68780.07
5.	डीटीए बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	डीटीए तैयार माल/सेवाओं की बिक्री	0.00	0.00	0.45	2.45	7.00	9.00
7.	लंबित विदेशी मुद्रा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दूसरा ब्लॉक वर्ष-

क्र सं	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1.	निर्यातों का पॉट पर्यन्त मूल्य	28233.50	30485.08	34210.788	34939.12	36311.75	164180.23
2.	नियम 53ए ('ए' से 'के') के अंतर्गत की गई आपूर्ति का मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	विदेशी मुद्रा व्यय	1703.94	1889.30	2515.06	2227.00	1703.47	10038.77
4.	विदेशी मुद्रा उपार्जन (1+2+3)	26529.56	28595.78	31695.72	32712.12	34608.28	154141.446
5.	डीटीए बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	डीटीए तैयार माल/सेवाओं की बिक्री	3.08	1.02	43.82	2.31	0.35	50.58
7.	लंबित विदेशी मुद्रा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तीसरा ब्लॉक वर्ष-

क्र सं	मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1.	निर्यातों का पॉट पर्यन्त मूल्य	40707.00	52541.78	4273.81	32336.32	23591.24	191450.15
2.	नियम 53ए ('ए' से 'के') के अंतर्गत की गई आपूर्ति का मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	विदेशी मुद्रा व्यय	1987.02	1795.04	670.64	1631.05	1685.51	7769.26
4.	विदेशी मुद्रा उपार्जन (1+2+3)	38719.98	50746.74	41603	30705.27	21905.73	183680.89
5.	डीटीए बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	डीटीए तैयार माल/सेवाओं की बिक्री	5.61	18.37	1450.05	16.03	25.41	1515.47
7.	लंबित विदेशी मुद्रा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

चौथा ब्लॉक वर्ष-

क्र सं	मद	2023-24	2024-25	कुल
1.	निर्यातों का पोर्ट पर्यन्त मूल्य	22794.91	12354.00	35148.91
2.	नियम 53ए ('ए' से 'के') के अंतर्गत की गई आपूर्ति का मूल्य	0.00	0.00	0.00
3.	विदेशी मुद्रा व्यय	1632.35	1531.63	3163.98
4.	विदेशी मुद्रा उपार्जन (1+2+3)	21162.56	10822.37	31984.93
5.	डीटीए बिक्री	0.00	0.00	0.00
6.	डीटीए तैयार माल/सेवाओं की बिक्री	44.86	10.34	55.20
7.	लंबित विदेशी मुद्रा	0.00	0.00	0.00

1.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और सर्वसम्मति से इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा पर ध्यान दिया।

पूरक कार्यसूची मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव:

2.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) लिमिटेड, विकासक

2.1.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक विनियामक श्री रोशन लाल बैठक हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) लिमिटेड, विकासक द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में अपने बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को **मंजूरी दी:-**

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित गोदाम।	26	15.15
	कुल		15.15

2.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

नोमान

(नोमान हाफिज़)
उप विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त